संख्या- 11 /2019/ 49 बीपी /35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक: 13 मई, 2019**

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित बांदा कृषि विश्व विद्यालय परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना हेतु वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 31/2017/111बीपी/35-1-2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा रू. 1874.86 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 749.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या- 27/2018/119बीपी/35-1-2018, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 682.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग करते हुए कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 तक परियोजना के कार्यों हेतु रू. 1431.00 लाख की धनराशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा चुका है।

एतद्द्वारा परियोजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू. 350.11 लाख (तीन करोड़ पचास लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. **स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग(तत्कालीन योजना आयोग), भारत सरकार के दिनांक रहित पत्र सं. 6/02/2015-एफ.आर. द्वारा अनुमोदित परियोजना एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।**
2. **स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर/ पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।**
3. **परियोजना हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।**
4. **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कार्य की विशिष्टियां, मानक, व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की होगी तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में योजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

6- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का होगा।

8- प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन नदी से सिंचाई सुविधा हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि भविष्य में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो।

9- कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नहर के संचालन एवं रख-रखाव हेतु वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय को लगभग एक करोड़ प्रति वर्ष की दर से धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये तथा इसके संचालन एवं रख-रखाव किये जाने हेतु सिंचाई विभाग की सहमति भी सुनिश्चित कर ली जाये ताकि प्रायोजना के सफल संचालन एवं रख-रखाव हेतु भविष्य में कोई कठिनाई न हो।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

11- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

12- प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समय बद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/परियोजना से उल्लेखनीय रूप भिन्न होते हैं तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित नीति आयोग तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

14- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा । कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

15- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में अनुमोदित योजना/ लगाई गई शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

16- कार्य स्थल पर इसे बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/ बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।

17- कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।

18- परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि 04 किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित लागत की 40 प्रतिशत तथा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता यथास्थिति नियन्त्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने पर जारी की जायेगी। चौथी तथा अंतिम किश्त के रूप में अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवमुक्त की जायेगी।

19- परियोजना हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20- विभाग द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-01-कृषि विश्व विद्यालय बांदा परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 11 /2019/ 49 बीपी (1) /35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।
5- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, बांदा।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
10- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- कोषाधिकारी, बांदा।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।